मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक15-10-2025

क्रमांकःF/1/1/35/0002/2023-Sec-1-10(FOR):: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य वन सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से वनक्षेत्रपाल के पद पर चयनित निम्नांकित प्रशिक्षु वनक्षेत्रपालों द्वारा वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से सत्र 2024-25 में 18 माह का वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 03.09.2025 को अवमुक्त किया गया है।

अतः राज्य शासन एतदद्वारा उक्त प्रशिक्षु वनक्षेत्रपालों को दिनांक 04.09.2025 से वनक्षेत्रपाल के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सातवें वेतनमान में पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रूपये 36200-114800/-) के न्यूनतम वेतन में नियुक्त करता है:-

स.क्र.	वनक्षेत्रपाल का नाम
1	श्री गौरव दुबे
2	श्री मनीष शर्मा
3	श्री सुशील परमार
4	श्री अनिरूद्ध दुबे
5	सुश्री मनीषा मुकाती
6	श्री वेदांत कुमार गौतम
7	श्री पराग जैन
8	श्री दीपक विश्वकर्मा
9	सुश्री पायल शर्मा
10	श्री शशि प्रकाश पाण्डे
11	श्री रवि यादव
12	श्री शुभम तिवारी
13	श्री पियूष शुक्ला
14	श्री अभिलाष पाठक

15	श्री ओंकार नाथ मिश्रा
16	श्री अमन पाटीदार
17	श्री अक्षय सिंह
18	श्री अरविंद सिह ठाकुर
19	सौरभ कुमार चैरसिया
20	सुश्री अनीता सूर्यवंशी
21	सुश्री पूजा बघेल
22	श्री दीपक धाकड़
23	श्री राजबहादुर तिवारी
24	श्री अरविंद सिंह भदौरिया
25	श्री अनुपम मिश्रा
26	श्री सोमेश शर्मा
27	श्री केशव मीना
28	श्री आशीष मीना
29	श्री अतुल कुमार पटेल
30	श्री अरूण कुमार उपाध्याय
31	श्री नीरज अंब
32	श्री काशीराम अहिरवार
33	श्री विशाल खेड़कर
34	श्री अतुल रंगारे
35	श्री शुभम सिंह बागरी
36	श्री धर्मेन्द्र मईडा
37	श्री अजय चैहान

2/ परिवीक्षा अवधि के दौरान इन्हें वनक्षेत्रपाल पद हेतु नियत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3/ यदि शासन की राय है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी समय सेवान्मुक्त किया जा सकेगा।

4/ वनक्षेत्रपालों को कम से कम 05 वर्ष की सेवा राज्य में देनी होगी अन्यथा उम्मीदवार को प्रशिक्षण में जाने के पूर्व विहित प्रारूप में निष्पादित करारनामा एवं प्रशिक्षण बंधपत्र में उल्लेखित राशि जमा करनी होगी।

5/ परिवीक्षाधीन व्यक्ति राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षाऐं उत्तीर्ण करेगा जैसा कि विहित की जाए।

6/ शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में स्थायी किया जाएगा।

7/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाएं और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेंगे।

8/ शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात् सभी शासकीय सेवक स्वतः ही शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तों से आबद्ध हुए माने जाते हैं तथा इनकी सेवाऐं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अध्यधीन रहेंगी।

9/ इन नियुक्तियों में म.प्र. लोक सेवा आयोग (अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपलब्धों का और अधिनियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

10/ "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में यदि अधिकारी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 15-10-2025
EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
18:06:00
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्र.F-1/1/13/0002/2025-Sec-1-10(FOR), भोपाल दिनांक 15-10-2025

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
(3) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।

(4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(5) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मा.सं.वि.), भोपाल।
(6) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(7) संबंधित मुख्य वनसंरक्षक/वनमण्लाधिकारी..............................(म0प्र0) द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(9) संबंधित ....वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(10) गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

EX OFFICIO DEPUTY
SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

वन भवन, "ए" ब्लाक द्वितीय तल, तुलसी नगर,
मध्यप्रदेश भोपाल
(Email-id:-apccfng@mp.gov.in)

पृष्ठां.क्रमांक/प्रशा-।।/स्था.3/वक्षे कक्ष/5829 भोपाल, दिनांक 22 **अक्टूबर 2025**

प्रतिलिपि:
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) वन भवन भोपाल म.प्र.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) वन भवन भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. समस्त संबंधित वनमण्डलाधिरियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
5. संबंधित प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।

22/10/25

(कमलिका मोहंता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा-।।)
म.प्र. भोपाल

D:\Data 23-7-25\Desktop\Desk_File_3-07-25\Mangal_File\Mangal_Letter_2025.Docx